

योजना मंत्रालय

मांग संख्या 75

योजना मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1006.30	70.56	1076.86	1584.20	77.03	1661.23	1278.50	74.18	1352.68	7100.00	81.51	7181.51	
पूँजी	251.51	...	251.51	515.80	...	515.80	263.50	...	263.50	900.00	...	900.00	
जोड़	1257.81	70.56	1328.37	2100.00	77.03	2177.03	1542.00	74.18	1616.18	8000.00	81.51	8081.51	
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	0.30	0.30	...	0.49	0.49	...	0.42	0.42	...	0.50	0.50
2. योजना आयोग	3451	3.62	64.56	68.18	12.29	70.84	83.13	7.36	68.18	75.54	7.81	74.49	82.30
	5475	1.55	...	1.55	7.80	...	7.80	3.50	...	3.50	6.00	...	6.00
	जोड़	5.17	64.56	69.73	20.09	70.84	90.93	10.86	68.18	79.04	13.81	74.49	88.30
3. पीपीपी के माध्यम से दक्षता विकास में नई पहल	2203	0.61	...	0.61	8.00	...	8.00	1.60	...	1.60
4. राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण	2401	15.21	...	15.21	35.00	...	35.00	26.60	...	26.60	31.50	...	31.50
5. असामानताएं दूर करने के लिए मानव विकास हेतु यूएनडीपी सहायता/ईएपी घटक	3475	4.50	...	4.50	3.50	...	3.50	4.00	...	4.00
6. स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय	3475	15.00	...	15.00	11.00	...	11.00	10.00	...	10.00
7. आयोजना लेखाकरण और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली	3475	14.94	...	14.94	130.00	...	130.00	69.11	...	69.11	160.99	...	160.99
	5475	3.97	...	3.97	50.00	...	50.00	10.00	...	10.00	93.00	...	93.00
	जोड़	18.91	...	18.91	180.00	...	180.00	79.11	...	79.11	253.99	...	253.99
8. जिला आयोजना/ईएपी संघटकों के लिए क्षमता विकास हेतु यूएनडीपी सहायता	3601	7.52	...	7.52	13.16	...	13.16	6.59	...	6.59
9. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	3454	941.54	...	941.54	1300.00	...	1300.00	1100.00	...	1100.00	1819.00	...	1819.00
	4059	0.24	...	0.24	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	5475	245.75	...	245.75	457.00	...	457.00	250.00	...	250.00	800.00	...	800.00
	जोड़	1187.53	...	1187.53	1758.00	...	1758.00	1350.00	...	1350.00	2620.00	...	2620.00
10. अन्य	3475	15.25	5.70	20.95	31.25	5.70	36.95	26.09	5.58	31.67	34.60	6.52	41.12
11. लो कार्बन अर्थव्यवस्था संबंधी विशेषज्ञ दल	3475	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
12. जन सूचना, अवसंरचना और नवपरिवर्तन संबंधी प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय	3451	3.70	...	3.70	24.00	...	24.00	15.50	...	15.50	24.00	...	24.00
13. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कुशलता विकास परिषद में प्रधानमंत्री के लिए सलाहकार कार्यालय	3451	2.65	...	2.65	6.00	...	6.00	6.15	...	6.15	8.00	...	8.00

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
14.	परिवहन नीति संबंधी विशेषज्ञ दल	3475	1.26	...	1.26	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	
15.	यूएनडीपी सहायता प्राप्त परियोजना - समावेशी विकास के लिए विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढीकरण	3475	0.10	...	0.10
16.	नए कार्यक्रम - केन्द्रीय योजना	3475	5000.00	...	5000.00
कुल जोड़		1257.81	70.56	1328.37	2100.00	77.03	2177.03	1542.00	74.18	1616.18	8000.00	81.51	8081.51	
ग. योजना परिव्यय		विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
1.	सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	11.52	...	11.52	50.09	...	50.09	32.51	...	32.51	45.81	...	45.81
2.	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	1187.53	...	1187.53	1758.00	...	1758.00	1350.00	...	1350.00	2620.00	...	2620.00
3.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	42.94	...	42.94	248.91	...	248.91	131.29	...	131.29	5302.69	...	5302.69
4.	तकनीकी शिक्षा	22203	0.61	...	0.61	8.00	...	8.00	1.60	...	1.60
5.	कृषि कार्य	12401	15.21	...	15.21	35.00	...	35.00	26.60	...	26.60	31.50	...	31.50
जोड़		1257.81	...	1257.81	2100.00	...	2100.00	1542.00	...	1542.00	8000.00	...	8000.00	

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** सचिवालय व्यय का प्रावधान।

2. **योजना आयोग/योजना बोर्ड::** इसमें कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) सहित योजना आयोग के व्यय का प्रावधान किया गया है।

'कार्यालय व्यवस्था के आधुनिकीकरण,' कार्यालय परिसरों का नवीकरण तथा परिवर्तन, उपकरण तथा आईटी संबंधी मदों की खरीद का प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद हेतु स्थापना संबंधी व्यय का प्रावधान।

4. **राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण:** राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के लिए स्थापना व्यय का प्रावधान है।

5. **असमानताओं को पाटने की दिशा में मानव विकास हेतु यूएनडीपी से सहायता:** असमानताएं दूर करने के लक्ष्य पर आधारित मानव विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता हेतु प्रावधान

6. **स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय:** योजनाकारों और नीति-निर्माताओं को निष्कर्षों के उपयोग और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार हेतु सक्षम बनाने के लिए पेशेवर एवं निष्पक्ष तरीके से प्रमुख कार्यक्रमों के मूल्यांकन का प्रावधान।

7. **लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पूर्व में पी ए एण्ड पी एफ एम एस):** प्रत्येक योजना स्कीम के तहत व्यय, आउटपुट तथा उपयोग में न लाई गई राशि के संबंध में राज्य-वार/जिला-वार रिपोर्टों के सृजन के साथ व्यय का पता लगाने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उचित एमआईएस/डीएसएस की व्यवस्था करना।

9. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण:** विशिष्ट पहचान के कार्यान्वयन हेतु विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करना जैसाकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सौंपा गया है।

10. **अन्य:** (क) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र और कौशल विकास संस्थानों (पूर्व में आईएमआर) को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान है।

(ख) शोध एवं अध्ययन

(ग) योजना निर्माण, मूल्यांकन एवं समीक्षा - राष्ट्र के विकास को प्रतिबिम्बित करने वाले सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए समग्र डेटा बैंक बनाने तथा राज्य विकास रिपोर्टें इत्यादि तैयार करने हेतु प्रावधान है।

12. **भारतीय सार्वजनिक सूचना, अवसंरचना और मौलिक विकास हेतु प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय:** नवप्रवर्तन दशक हेतु एकीकृत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और विकास कार्य योजना के संचालन हेतु प्रावधान है।

13. **कौशल विकास पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद हेतु प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय:** राज्य स्तरीय विभिन्नताओं सहित राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास हेतु रणनीति विकसित करने हेतु प्रावधान
15. **विकेन्द्रीकृत योजना द्वारा समावेशी विकास को पुष्ट करने हेतु यूएनडीपी से सहायता प्राप्त परियोजना:** राष्ट्रीय, राज्यो और स्थानीय स्तरों पर विकेन्द्रीकृत योजना हेतु नीतियों और दिशा निर्देशों के विकास एवं उन दिशा निर्देशों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए यूएनडीपी से सहायता
16. **नई योजनाएं - केन्द्रीय योजना:** नए कार्यक्रमों के लिए एकमुश्त प्रावधान किया गया है।